न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 287/17 **निर्णय दिनांकः 31.10.2018**

1. सोफिन खॉ पुत्र अब्दुल अजीज जाति मुसलमान निवासी आरसीपी कॉलोनी छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. श्रीमती चावली पत्नी गोपीराम जाति जाट निवासी चक 1 जीएसएम तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 31—03—2017
उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़

उपस्थितिः—

1. श्री जयचन्द लाल सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 31—03—2017 जिसके द्वारा अपीलांट की प्रथम वरियता होते हुए भी वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम)1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि चक 1 जीएसएम के मुरब्बा नम्बर 15/64 में 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि बतौर विशेष आवंटन हेतु दिनांक 29—12—2007 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसकी जी.ए. रसीद संख्या 0051 दिनांक 29—12—2007 अपीलांट के नाम से जारी की गई। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि के आवंटन का प्रथम अधिकार अपीलांट का बनता है। अदालत मातहत ने अपीलांट को बिना नोटिस, सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। अदालत मातहत द्वारा मनमर्जी तरीके से उक्त आवेदित भूमि रेस्पोडेन्ट को आवंटन कर दी गई। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व न तो अपीलांट का कोई नोटिस प्रदान किया गया ना ही कोई सूचना, नोटिस अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट दोनों की वरियता समान होने से अदालत मातहत को चाहिए था कि वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाता। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की स्पष्ट रूप से अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन हेतु वर्ष 2007 में कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था ना ही उसके नाम से 500/— रूपये की कोई रसीद ही जारी की गई थी। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से मिलीभगत करते हुए एक साधारण प्रार्थना पत्र पर दिनांक 31—03—2017 को प्रस्तुत किया गया, जिस पर यह अभिलिखित किया गया कि प्रार्थना पत्र 2007 में लगाया था व पत्रावली पूगल, खाजुवाला व छत्तरगढ़ कार्यालयों में ढुँढनें पर भी नहीं मिल पाई। इसलिए नये सिरे से पुनः स्थापित करवाते हुए प्रार्थिया से नियमानुसार राशि जमा करवाकर आवंटन आदेश जारी करें। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के स्थान पर अन्य किसी व्यक्ति रामलाल के हस्ताक्षर अंकित है। प्रकरण में उल्लेखनीय यह भी है कि अदालत मातहत द्वारा दिनांक 31—03—2017 को ही प्रार्थना पत्र दर्ज करते हुए उसी दिन वादगत् भूमि का आवंटन

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कर दिया गया। इस प्रकार आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से स्वेच्छाचारी तरीके से पारित किया गया है। जो आवंटन नियमों से स्पष्ट विपरीत है। चूंकि वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट का भी आवेदन पत्र जैरकार था तथा वादगत् भूमि के आवंटन की प्रथम वरियता अपीलांट की भी बनती है। जिसे अनदेखा कर अदालत मातहत द्वारा आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत से अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया है जो विधि विरूद्व होने से काबिल खारिज है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे व प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि अपीलांट को सुनवाई व अवसर प्रदान करते हुए प्राथमिकता के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। विभिन्न उच्चतर न्यायालयों द्वारा यह निर्धारित किया जा चुका है कि जहॉ प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना हो व प्रकरण मैरिट पर मजबूत हो वहॉ मियांद के बिन्दु को गौण करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

4. प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दिनांक 12—09—2018 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 12—01—2018 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए कथन किया गया कि अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादगत् भूमि के आवंटन की प्रथम वरियता मानते हुए वादगत् भूमि का आवंटन किया गया है।

अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार तैयार किये गये तुलनात्मक विवरण में पाया गया कि रेस्पोडेन्ट की वरियता अन्य आवेदकों की तुलना में अधिक है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि के आवंटन का पात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को मानते हुए अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को चक 1 जीएसएम के मुरब्बा नम्बर 15/64 में 25 बीघा का आवंटन इस आधार पर किया गया कि सभी आवेदकों के आवेदन वर्ष 2007 के है। तुलनात्मक विवरण एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में श्रीमती चावली की प्राथमिकता आवंटन नियम 13 (ए) के उपनियम 7 के अनुसार सर्वोच्य श्रेणी की है तथा श्रीमती चावली द्वारा आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज यथा मूल निवास प्रमाण पत्र, सद्भावी काश्तकार प्रमाण पत्र, भूमि तस्दीक प्रमाण पत्र एवं मतदाता सूची वर्ष 1971, 1984, 1990 व 2014 आदि प्रस्तुत कर सभी औपचारिकता पूर्ण कर ली है। ऐसी स्थिति में श्रीमती चावली सर्वोच्य प्राथमिकता की आवेदक होने पर अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन आदेश की पालना में आवंटन पत्र जारी किया जा चुका है व रेस्पोडेन्ट द्वारा आवंटन राशि जमा करवाई जा चुकी है। अदालत मातहत द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया को अपनाये जाने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या को आराजी जैर का आवंटन किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट का आवंटन बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को आराजी जैर 1 जीएसएम के मुरब्बा नम्बर 15/64 में 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन प्रथम वरियता मानते हुए किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, इस संबंध में हमारा अभिमत है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार धोषित की जाती है।

(3) प्रस्तुत मामलें में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि चक 1 जीएसएम के मुरब्बा नम्बर 15/64 में 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। इस संबंध में अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि बतौर विशेष आवंटन हेतु दिनांक 29—12—2007 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसकी जी.ए. रसीद संख्या 0051 दिनांक 29—12—2007 अपीलांट के नाम से जारी की गई। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि के आवंटन का प्रथम अधिकार अपीलांट का बनता है। अदालत मातहत ने अपीलांट को बिना नोटिस, सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है।

(4) इस संबंध में हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अदालत मातहत के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की तरफ से किसी अन्य व्यक्ति रामलाल द्वारा दिनांक 31—03—2017 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अभिकथन किया गया कि प्रार्थिया द्वारा वर्ष 2007 में वादगत् भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र लगाया था। उक्त पत्रावली पूगल, खाजुवाला, छत्तरगढ़ कार्यालयों में ढूॅढनें पर नहीं मिल पाई है। अतः प्रार्थी का आवेदन नये सिरे से पुनः स्थापित करवाते हुए प्रार्थिया से नियमानुसार राशि जमा करवाकर आवंटन आदेश जारी करें।

(5) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा उसी दिनांक अर्थात 31—03—2017 को ही रेस्पोडेन्ट के उक्त प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करते हुए उसी दिनांक 31—03—2017 को ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में आवंटन आदेश जारी कर दिया गया। अदालत मातहत का उक्त कृत्य स्वमेव उन्हें संदेह के घेरे में लाता है। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट द्वारा वर्ष 2007 में ही आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा चुका था। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को चाहिए था कि वे वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करते।

(6) प्रस्तुत मामलें में अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही आनन—फानन में मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादगत् भूमि के आवंटन किये जाने के उद्वेश्य मात्र से किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए बिना प्रकिया को अपनाये ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है। इस प्रकार अदालत मातहत की कार्यवाही को किसी भी स्थिति में सराहा नहीं जा सकता है।

(7) प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि का आवंटन बिना आवंटन सलाहकार समिति की राय से किया गया है। जबकि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील में यह अभिलिखित किया गया है कि उपखण्ड खाजुवाला में हुई आवंटन सलाहकार समिति में प्रथम श्रेणी के आवेदकों/एकल आवेदकों को आवंटन किये जाने बाबत् निर्णय लिया जा चका है। उक्त निर्णय कब लिया गया, किस दिनांक को उक्त बैठक का आयोजन किया गया है, इसका खुलासा आदेश जैर अपील में नहीं किया गया है। उल्लेखनीय यह भी है कि वादगत् भूमि वर्तमान में तहसील छत्तरगढ़ में स्थित है, जबकि आदेश जैर अपील में उपखण्ड खाजुवाला में हुई बैठक का हवाला दिया गया है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा आवंटन के संबंध में की गई तमाम कार्यवाही सुनियोजित तरीके से की गई कार्यवाही प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील की पुष्टि किया जाना युक्तियुक्त व न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 31—03—2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व सभी आवेदकों को नोटिस, सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए व आवंटन प्रक्रिया की पूर्णरूप से पालना करते हुए विधि सम्मत तरीके से पुनः निर्णय पारित करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 31.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर